न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 360 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 30.11.2015

भग्गु पत्नि रामलाल जाति चमार निवासी बिलोदा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
–अपीलांट

विरूद्व

1. जैराम पिता केला जाति चमार निवासी पाटनिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. मोहनी पत्नि मांगीलाल जाति निवासी मानपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. पुष्पा पत्नि परथु जाति चमार निवासी पाटनिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 55/2010 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 15.06.2015

उपस्थित– 1. कृष्णचन्द शर्मा –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. राकेशपुरी गोस्वामी – रेस्पोडेन्ट–1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 4

निर्णय **दिनांक 18.02.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादिया ने रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी की कृषि आराजीयात मौजा पाटनिया तहसील चित्तौड़गढ़ के आराजी नम्बर 489 रकबा 2.28 हैक्टेयर आराजी नम्बर 490 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल रकबा 2.43 हैक्टेयर जिसके साबिक आराजी नम्बर 311/1, 312/1 होकर आराजी नम्बर 311 का रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा व 312 का रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा बिलानाम सरकार दर्ज थी। जो बाद मे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 2 के पिता व रेस्पोडेन्ट सं. 3 के पति को 11 बीघा 5 बिस्वा आंवटन से प्राप्त हुई। आंवटी केलाजी ने अपीलान्ट के पास भूमि नही होने से उनकी स्वैच्छा से 2 बीघा भूमि कृषि हेतु दी जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने बाद मे छीन ली। अपीलान्ट वादिया व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने से स्वर्गीय केलाजी की कृषि आराजीयात मे सभी का बराबर–बराबर हक निहित है। अपीलान्ट वादिया उक्त आराजीयात मे अपना 1/4 हिस्सा निहित होने से खातेदारी घोषणा करा घोषित हिस्से अनुसार आराजीयात का बंटवाडा कराना चाहती है। जिसके लिये यह वादपत्र

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ विचारण न्यायालय अपीलान्ट वादिया की ओर से वादपत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र वादिया अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन किया। व निवेदन किया गया कि केलाजी ने अपने जीवनकाल मे अपीलान्ट वादिया को कोई भूमि नही दी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 को उक्त भूमि विरासत व वसीयत से प्राप्त हुई है। वसीसत मे रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 भी सहमत रही है। स्वर्गीय केलाजी के निधन के बाद रेस्पोडेन्ट सं. 1 ही उक्त विवादित कृषि आराजीयात पर काबिज है। अन्य किसी का कोई कब्जा नही है। अपीलान्ट वादिया के बिना किसी आधार के वादपत्र प्रस्तुत किया जो खारीज किये जाने योग्य है।

उक्त आशय का जवाबदावा रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ। उसके पश्चात् दिनांक 05.09.2011 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से भी जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली मे दिनांक 12.10.2011 को तनकियात कायम की जाकर प्रकरण वास्ते साक्ष्य वादिया अपीलान्ट नियत किया गया। व उक्त पत्रावली दिनांक 31.07.2013 को वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी रेस्पोडेन्टगण मे विचाराधीन थी और उसके बाद लगातार दिनांक 23.03.2015 तक प्रकरण मे कोई कार्यवाही नही की गई। प्रकरण वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत था व पत्रावली अपरिपक्व पत्रावली थी। दिनांक 15.06.2015 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर शम्भुपुरा मे नियत की गई जिसमे अपीलान्ट वादिया स्वंय उपस्थित हुई। जिसके आदेशिका पर उपस्थिति के हस्ताक्षर भी करवाये गये। उसके पश्चात् बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाकर अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित कर दी।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध अपीलान्ट वादिया ने इस न्यायालय मे दिनांक 19.10.2015 को प्रथम अपील प्रस्तुत की। व अपील म्याद बाहर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थिया अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील इस न्यायालय द्वारा पंजीयन की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट वादिया ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसमे अंकित किया कि अधीनस्थ विद्धवान न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2015 की जानकारी दिनांक 22.07.2015 को हुई तत्पश्चात् अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 05.10.2015 को प्रमाणित प्रति प्राप्त की। उसके पश्चात् दिनांक 19.10.2015 को इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की है जिससे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय होने से प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादिया ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र घोषणा बंटवाडा कब्जेयाबी व स्थायी निषेधाज्ञा का होकर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत था। अपरिपक्व वादपत्र को लोक अदालत मे नियत किया जाकर बिना किसी राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए वादपत्र प्रमाणित नही होना मानते हुए डिक्री पारित की है। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलान्ट वादिया स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अपनी बहस मे अंकित किया कि अपीलान्ट वादिया विवादित कृषि आराजीयात की खातेदार नही है। न ही अपीलान्ट वादिया का कब्जा है। ऐसी स्थिति मे बिना कब्जे के घोषणा व बंटवाडा का दावा स्वीकार योग्य नही होने से अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दावा निरस्त करने मे किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नही की है। जिससे अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को न्यायोचित होना बताते हुए अपीलान्ट वादिया की अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से इंगित होता है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट वादिया ने पैतृक कृषि आराजीयात मे घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वादपत्र मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। व दावा जवाबदावे अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गई। तत्पश्चात् पत्रावली मे साक्ष्य वादिया पूर्ण होकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादीगण मे विचाराधीन थी। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने उक्त पत्रावली को लोक अदालत मे नियत की जाकर बिना किसी राजीनामे के अपरिपक्व पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाकर अपीलान्ट वादिया का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। लोक अदालत राजस्व मण्ड़ल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त आर0एल0डब्ल्यु0 2008 पार्ट–2 पेज 975 मे प्रतिपादित दृष्टान्त के अनुसार सुलह व पंचाट से सम्बन्धित है। यदि पक्षकारान के मध्य सुलह व पंचाट

नही हो पाती है तो अधीनस्थ विद्धवान लोक अदालत को पत्रावली पुनः उस न्यायालय मे प्रतिप्रेषित कर देनी चाहिये जिस न्यायालय से पत्रावली प्राप्त हुई। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित कर अपीलान्ट वादिया का वादपत्र प्रमाणित होना नही मानते हुए निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित एवं विधि संगत होना नही पाया जाता है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादिया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 55/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट वादिया व प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा जवाबदावा के अनुसार कायम तनकियात का परीक्षण कर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना करते हुए तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ